न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 04/2017 – रेफरेन्स

1 मन्दिर मूर्ति आसन स्थान बनाम हुरडा संरक्षक राजस्थान राज्य जरिये तहसीदार हुरडा

1. पिन्टू झंवर पुत्र बनवारी लाल झंवर निवासी भीलवाडा
2. नवनरेश पुत्र रामेश्वरलाल झंवर निवासी भीलवाडा
3. नवनीत पुत्र रामेश्वरलाल झंवर निवासी भीलवाडा
4. रतननाथ गुरू माघूनाथ जोगी निवासी हुरडा जिला भीलवाडा

–विपक्षीगण

–प्रार्थी

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 रेफरेन्स प्रस्तुति बाबत्

उपस्थित –

1. पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से
2. श्री गोपाल अजमेरा, मोह0 इमरान अधिवक्ता – विपक्षी सं. 02 व 03 की ओर

निर्णय

दिनांक 05-8 .2020

प्रार्थी तहसीलदार हुरड़ा ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध यह रेफरेन्स प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुये अनुरोध किया कि आराजी नं. 497 रकबा 91.15 बीघा के हाल जमाबन्दी खातेदार सीतादेवी पत्नी रामेश्वर लाल झंवर की मृत्यु हो चुकी है। जिनके वारिसान विपक्षी सं. 02 व 03 तथा सुगनबाई पत्नी कालूराम झंवर की भी मृत्यु हो चुकी है, जिनके वारिस अप्रार्थी सं. 02 है। तहसील हुरडा की राजस्व ग्राम सुल्तानपुरा की साबिक आराजी नं. 192/1, 192/2, 193,194,195 रकबा 32.00 बीघा जमाबन्दी संवत् 2011 से 2014 के अनुसार मन्दिर मूर्ति श्री आसन स्थान हुरडा के नाम दर्ज थी। ग्राम सुल्तानपुरा का नवीन भू प्रबन्ध संवत् 2028 में हुआ जिसमें आराजी नं. 497 के नवीन नम्बर 683, 684, 704, 711, 712, 713, 714, 715, 716 719, 720, 497 किता 12 रकबा 135.06 बीघा बनाया गया। इस प्रकार भूप्रबन्ध द्वारा उक्त भूमि श्री आसनजी स्थान हुरडा खातेदार माननाथ गुरू हरनाथ जोगी साकिन हुरडा के नाम पर दर्ज की गयी, जो विपक्षी सं. 02 का गुरू है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 195 की धारा 88 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत राजस्व रिकार्ड में दर्ज मूर्ति मन्दिर शाश्वत नाबालिग माने जाने से किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार अदभुत नही होते है, परन्तु प्रश्नगत आराजी को उक्त प्रावधानों के विपरीत निजी खातेदारी में बिकाव से ए.एस.ओ. के फैसला दिनांक 12.04.1968 नामान्तरकरण सं. 6 द्वारा कार्यवाही की गयी। पूर्व में रेफरेन्स सं. 100/2006 इ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें दिनांक 12.02.2007 को अभिशंषा पारित क राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया गया। जिसमें आराजी सं. 497 रकबा 91.15 बी

अति जिला कलक्टर

का हवाला नही दिया गया। उक्त आराजी सं. 497 मन्दिर मूर्ति आसन स्थान हुरडा के नाम पर दर्ज होने से रह गया, जबकि उक्त आराजी जमाबन्दी में दर्ज रिकार्ड थी, लेकिन सहवन से उक्त आराजी सं. 497 रकबा 91.15 बीघा पूर्व के रेफरेन्स में अंकन करने से रह गयी थी व बकाया आराजियात राजस्व मण्डल के निर्णय के अनुसार दर्ज हो गयी है। इस बारे में मन्दिर मूर्ति आसन स्थान हुरडा के मुख्तियार श्री रतननाथ पुत्र माधू नाथ योगी निवासी सुल्तानपुरा तहसील हुरडा के द्वारा एक रिव्यू प्रार्थना पत्र सं. 35/2014 दिनांक 11.09.2014 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें दिनांक 28.02.2017 को निर्णय पारित कर तहसीलदार हुरडा से रेफरेन्स प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिया गया। निवेदन हैं कि प्रश्नगत हाल आराजी सं. 497 रकबा 91.15 बीघा ग्राम सुल्तानपुरा तहसील हुरडा जो कि पूर्व के खाते में मन्दिर मूर्ति के नाम दर्ज थी, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत अप्रार्थी की निजी खातेदारी से दर्ज की गयी है। उक्त आराजी सं. 497 में से अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाये जाने तथा पुनः मन्दिर मूर्ति के नाम खाते में दर्ज कराने का आदेश करने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रेषित कराना फरमावें।

रेफरेन्स प्रतिवेदन दिनांक 08.09.2017 को पंजीबद्ध किया गया तथा विपक्षीगण को वज़ह जाहिर कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी सं. 01 से 03 की ओर से जवाब पेश किया गया।

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार एवं विपक्षी सं. 02 व 03 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में बताया कि राजस्व ग्राम सुल्तानपुरा की साबिक आराजी नं. 192/1, 192/2, 193,194,195 रकबा 32.00 बीघा जमाबन्दी संवत् 2011 से 2014 के अनुसार मन्दिर मूर्ति श्री आसन स्थान हुरडा के नाम दर्ज थी। ग्राम सुल्तानपुरा का नवीन भू प्रबन्ध संवत् 2028 में हुआ जिसमें आराजी नं. 497 के नवीन नम्बर 683, 684, 704, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 719, 720, 497 किता 12 रकबा 135.06 बीघा बनाया गया। इस प्रकार भूप्रबन्ध द्वारा उक्त भूमि श्री आसनजी स्थान हुरडा खातेदार माननाथ गुरू हरनाथ जोगी साकिन हुरडा के नाम पर दर्ज की गयी जो विपक्षी सं. 02 का गुरू है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 88 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत राजस्व रिकार्ड में दर्ज मूर्ति मन्दिर शाश्वत नाबालिग माने जाने से किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार अदभूत नही होते है, परन्तु प्रश्नगत आराजी को उक्त प्रावधानों के विपरीत निजी खातेदारी में बिकाव से ए.एस.ओ. के फैसला दिनांक 12.04.1968 से नामान्तरकरण सं. 6 द्वारा कार्यवाही की गयी। पूर्व में रेफरेन्स सं. 100/2006 इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें दिनांक 12.02.2007 को अभिशंषा पारित कर राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया गया। जिसमें आराजी सं. 497 रकबा 91.15 बीघा का हवाला नही दिया गया। उक्त आराजी सं. 497 मन्दिर मूर्ति आसन स्थान हुरडा के नाम पर दर्ज होने से रह गया, जबकि उक्त आराजी जमाबन्दी में दर्ज रिकार्ड थी लेकिन सहवन से उक्त आराजी सं. 497 रकबा 91.15 बीघा पूर्व के रेफरेन्स में अंकन करने से रह गयी थी व बकाया आराजियात राजस्व मण्डल के निर्णय के अनुसार दर्ज हो गयी है। इस बारे में मन्दिर मूर्ति आसन स्थान हुरडा के मुख्तियार श्री रतननाथ पुत्र माधू नाथ योगी निवासी सुल्तानपुरा तहसील हुरडा के द्वारा एक रिव्यू प्रार्थना पत्र सं. 35/2014 दिनांक 11.09.

जिला कलक्टर

2014 को प्रस्तुत किया गया जिसमें दिनांक 28.02.2017 को निर्णय पारित कर तहसीलदार हुरडा से रेफरेन्स प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिया गया। निवेदन हैं कि प्रश्नगत हाल आराजी सं. 497 रकबा 91.15 बीघा ग्राम सुल्तानपुरा तहसील हुरडा जो कि पूर्व के खाते में मन्दिर मूर्ति के नाम दर्ज थी, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत अप्रार्थी की निजी खातेदारी से दर्ज की गयी है। निवेदन हैं कि उक्त आराजी सं. 497 में से अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाये जाने तथा पुनः मन्दिर मूर्ति के नाम खाते में दर्ज कराने का आदेश करने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रेषित किया जावे।

विपक्षी संख्या 02 से लगायत 03 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि हाल आराजी संख्या 497 स्वयं प्रार्थी (न्यायालय तहसीलदार) के आदेश की पालना मे श्रीमती सीमा देवी पत्नी रामेश्वरलाल झंवर के नाम एवं सुगन बाई पत्नी कालूराम झंवर के नाम दर्ज हुयी हैं, ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उक्त रेफरेन्स प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं हैं, क्योंकि स्वयं प्रार्थी के आदेश से ही आराजियात सीतादेवी व सुगन बाई के नाम दर्ज हुयी है। निवेदन हैं कि प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया, जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम सुल्तानपुरा की जमाबन्दी संवत् 2011 से 2014 अनुसार आराजी सं. 192/1, 192/2, 193, 194, 195 रकबा 32.00 बीघा भूमि मंदिर/मूर्ति श्री आसन स्थान हुरडा के नाम पर दर्ज थी।

ग्राम सुल्तानपुरा का नवीन भू प्रबन्ध संवत् 2028 में हुआ जिसमें आराजी नं. 497 के नवीन नम्बर 683, 684, 704, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 719, 720, 497 किता 12 रकबा 135.06 बीघा बनाया गया। इस प्रकार भूप्रबन्ध द्वारा उक्त भूमि श्री आसनजी स्थान हुरडा खातेदार माननाथ गुरू हरनाथ जोगी साकिन हुरडा के नाम पर दर्ज की गयी, जो विपक्षी सं. 02 का गुरू है।

प्रश्नगत आराजी को उक्त प्रावधानों के विपरीत निजी खातेदारी में बिकाव से ए.एस.ओ. के निर्णय दिनांक 12.04.1968 को पारित किया गया।

तहसीलदार हुरडा द्वारा दिनांक 12.01.1998 को निर्णय पारित कर आदेशित किया गया कि ग्राम सुल्तानपुरा के नामान्तरकरण संख्या 5 व 6 में भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा रोके गये अमल को निरस्त करते हुये उक्त अंकन से पूर्व के राजस्व रिकार्ड के अंकन को वर्तमान एवं पूर्व रोटेशन जमाबन्दियों में अमल दरामद के आदेश पारित किये जाते हैं।

प्रश्नगत हाल आराजी सं. 497 रकबा 91.15 बीघा ग्राम सुल्तानपुरा तहसील हुरडा जो कि ग्राम सुल्तानपुरा की जमाबन्दी संवत् 2011 से 2014 अनुसार आराजी सं. 192/1, 192/2, 193, 194, 195 रकबा 32.00 बीघा भूमि मंदिर/मूर्ति श्री आसन स्थान हुरडा के नाम पर दर्ज थी, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत अप्रार्थी की निजी खातेदारी से दर्ज की गयी है।

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 46 के अनुसार मंदिरमूर्ति अवयस्क हैं, जिनके अधिकारों को कानून ने प्रोटेक्ट किया हैं और ऐसे अंकन जो अवयस्क के हितों के विपरीत हो वे सदैव शून्य, अवैध व निष्प्रभावी होते है एवं राजस्व रिकार्ड में मूर्ति के नाम पर अंकन के साथ कोई रद्दोबदल नहीं किया जा सकता हैं। ऐसी मंदिरमूर्ति को धारित भूमि किसी शाश्वत के नाम दर्ज अंतरित की जाना सर्वथा अवैध एवं शून्य हैं।

अति जिला कलक्टर
शाहपुरा

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 46 का संक्षिप्त इस प्रकार है–

46 (2) ज – देवता के खातेदारी अधिकार– विधि की दृष्टि में एक हिन्दू देवमूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। माफी के पुनर्ग्रहण पर खातेदारी अधिकार पुजारी को प्राप्त नही हो सकते, परन्तु विधि के प्रवर्तन से देवमूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी खुदकाश्त भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। पुजारी को यदि जमीन भगवान की मूर्ति के भोग–राग के लिये दी गयी हो, तो पुजारी उस जमीन पर अपनी खातेदारी दर्ज नहीं करवा सकता है।

इस प्रकरण में तहसीलदार हुरड़ा द्वारा प्रचलित लोकनीति के तहत रेफरेंस का आवेदन पेश कर साबिक रेकॉर्ड में देवता के नाम खातेदारी हक से पुजारियों के द्वारा अपने नाम पर खातेदारी अधिकार से इन्द्राज करवा लिया एवं सेटलमेंट के दौरान नवीन राजस्व रेकॉर्ड में भी मूर्ति के पुजारियों के नाम खातेदारी हक से इन्द्राज हो जाने से संज्ञान में आने पर यह रेफरेस प्रस्तुत करते हुए श्री मन्दिर मूर्ति आसन स्थान देह के नाम पुनः इन्द्राज किए जाने का अनुतोष किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से यह तथ्य सिद्ध है कि ग्राम सुल्तानपुरा की जमाबन्दी संवत् 2011 से 2014 अनुसार आराजी सं 192/1, 192/2, 193, 194, 195 रकबा 32.00 बीघा भूमि मंदिर/मूर्ति श्री आसन स्था हुरडा के नाम पर दर्ज थी। ऐसी भूमि के लिए विपक्षी को खातेदारी अधिकार प्रदत्त न किए जा सकते है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र राजस्थ भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत स्वीकार किया जाकर माननीय राज मण्डल राजस्थान, अजमेर को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत

अतएव –

आदेश

प्रार्थी तहसीलदार, हुरड़ा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाता हैं। ग्राम सुल्तानपुरा की जमाबन्दी संवत् 2011 से 2014 अनुसार आराजी 192/1, 192/2, 193, 194, 195 रकबा 32.00 बीघा भूमि मंदिर/मूर्ति श्री आसन हुरडा के नाम पर दर्ज थी। थी। ऐसी भूमि के लिए विपक्षी को खातेदारी अधिकार नहीं किए जा सकते है। हाल आराजी सं. 497 रकबा 91.15 बीघा ग्राम सुल तहसील हुरडा जो कि पूर्व के खाते में मन्दिर मूर्ति के नाम दर्ज थी, राजस्थान का अधिनियम 1956 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत अप्रार्थी की निजी खातेदारी की गयी है। उक्त आराजी सं. 497 में से अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड जाने तथा पुनः मन्दिर मूर्ति के नाम खाते में दर्ज कराने का इन्द्राज कराने हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रेषित करने के आदेश दिए जाते है

निर्णय आज दिनांक 5-8-.2020 को मेरे द्वारा लिखाया ज न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा